



Real Estate Regulatory Authority
Madhya Pradesh

भू-सम्पदा
विनियामक प्राधिकरण
मध्य प्रदेश

रेरा भवन, अरेरा हिल्स, मेन रोड नं. 1, भोपाल-462011

प्ररूप "ग"
{नियम 6 (1) देखिए}

परियोजना का पंजीयन प्रमाण-पत्र

यह पंजीयन अधिनियम की धारा 5 के अधीन निम्नलिखित परियोजना को परियोजना पंजीयन क्रमांक **P-IND-21-2925** के अधीन मंजूर किया जाता है:-

प्रोजेक्ट-एमराल्ड अनन्त, इन्दौर

(परियोजना पते को सम्मिलित करते हुए परियोजना के ब्यौरे विनिर्दिष्ट कीजिए):

1. (व्यक्तिगत की दशा में) श्री/श्रीमती
पुत्र श्री/श्रीमती
तहसील जिला राज्य

या

(फर्म/सोसाइटी/कंपनी/सक्षम प्राधिकारी की दशा में)

फर्म/सोसाइटी/कंपनी सक्षम प्राधिकारी

कार्यालय/कारोबार का प्रमुख स्थान होगा।

अश्रवाल रियल सिटी प्रा. लि. इन्दौर,
अश्रवाल हाउस, 2nd फ्लोर, 5 यशवंत कालोनी,
वाय.एन. रोड, इन्दौर.

2. यह पंजीयन निम्नलिखित शर्तों के अधीन मंजूर किया जाता है, अर्थात्-

(एक) सम्प्रवर्तक "उपबंध-क" में यथा उपबंधित के साथ विक्रय हेतु करार करेगा।

(दो) सम्प्रवर्तक धारा 17 के अनुसार कॉमन क्षेत्र या अपार्टमेंट के, जैसी भी स्थिति हो, आबंटिती के संघ या आबंटिती के पक्ष में हस्तांतरण विलेख को निष्पादित या पंजीकृत करेगा।

(तीन) सम्प्रवर्तक धारा 4 की उपधारा (2) के खण्ड (1) के उपखण्ड (घ) के अनुसार निर्माण लागत तथा इस प्रयोजन के लिए उपयोग की जानेवाली भूमि की लागत को पूरा करने के लिए सम्प्रवर्तक द्वारा वसूली गई रकम का सत्तर प्रतिशत अनुसूचित बैंक में बनाए रखने के लिए अलग खाते में जमा करेगा।

(चार) पंजीयन दिनांक **06-10-2021** से शुरू करते हुए **05-10-2024** के साथ समाप्त करते हुए **03 (तीन)** वर्ष की कालावधि के लिए वैध होगा, यदि अधिनियम की धारा 7 के साथ पठित धारा 8 के अनुसार रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण द्वारा नवीकृत नहीं कराया जाता है।

(पांच) सम्प्रवर्तक इसके अधीन बनाए गए नियमों एवं विनियमों को अधिनियम के उपबंधों के साथ लागू करेगा।

(छः) सम्प्रवर्तक क्षेत्र में लागू जहां परियोजना का विकास किया जा रहा है तत्समय किसी अन्य कानून के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करेगा।

3. यदि उक्त उल्लिखित शर्तें सम्प्रवर्तक द्वारा पूरी नहीं की जाती हैं, तो विनियामक प्राधिकारी अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों तथा विनियमों के अनुसार इसमें पंजीयन मंजूरी को प्रतिसंहत करते हुए सम्प्रवर्तक के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई कर सकेगा।

4. **उक्त परियोजना प्रक्रिये में प्राधिकरण के आदेश में अंकित शर्तों के अधीन।**

दिनांक **06-10-2021**

स्थान : **भोपाल**

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा
रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण

म.प्र. भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण

रेरा भवन अरेरा हिल्स, मेन रोड नम्बर 01, भोपाल

क्रमांक F 9/II-R/A-05/2021/रेरा/पंजीयन/2021 भोपाल दिनांक 11/10/2021
830 18

प्रति,

श्री प्रमोद किशोर श्रीवास्तव अग्रवाल रियल सिटी प्रा.लि
अग्रवाल हाउस 2nd फ्लोर 5-यशवंत कॉलोनी वाय.एन रोड
इन्दौर मध्य प्रदेश(452020)


विषय: श्री एमराल्ड अनन्त इन्दौर म.प्र का पंजीयन।

उपरोक्त विषयक एमराल्ड अनन्त इन्दौर म.का पंजीयन
P-IND-21-2925का मूल प्रमाण पत्र संलग्न प्रेषित है।
संलग्न: उपरोक्तानुसार

(विनोद कुमार चतुर्वेदी)

उप सचिव

म.प्र. भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण



म.प्र. भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण

रेरा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल दूरभाष-0755-2556340, 2556760

Website:- www.rera.mp.gov.in, Email id- secretaryrera@mp.gov.in

क्रमांक
प्रति,

F 9- IIR/A-05/2021/830
रेरा/ पंजी/ 2021/

भोपाल, दिनांक 18/11/2021

अग्रवाल रियल सिटी प्राईवेट लिमिटेड,
सम्प्रवर्तक, एमराल्ड अनंत,
अग्रवाल हाउस, द्वितीय तल, 5, यशवंत कॉलोनी,
वाय० एन० रोड, इंदौर(म०प्र०)

विषय- परियोजना- एमराल्ड अनंत, इंदौर (प्रोजेक्ट क्र.- 91679114148) के संबंध में।
संदर्भ- परियोजना में सुनवाई दिनांक 06-10-2021


-0-

कृपया उपर्युक्त संदर्भित दिनांक 06-10-2021 प्राधिकरण द्वारा की गई सुनवाई का स्मरण करे, जिसमें कि परियोजना संस्कृति एमराल्ड अनंत, इंदौर सशर्त मान्य किया गया है। परियोजना को पंजीयन क्र० P-IND-21-2925 आवंटित किया गया है।

प्राधिकरण के आदेशानुसार मुझे यह सूचित करने के निर्देश है कि उक्त पंजीयन भू-सम्पदा(विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 11 एवं भू-सम्पदा(विनियमन एवं विकास) नियम 2017 के नियम 9, 14, 15 एवं 16 में उल्लेखित प्रावधानों के अधधीन मान्य किया गया है।

" संप्रवर्तक अधिनियम की धारा 4(2)(ठ)(ई) के अनुसार आवंटितियों से इस भू-संपदा परियोजना के लिए समय-समय पर वसूल की गई रकमों का 70 प्रतिशत निर्माण के खर्चों एवं भूमि की लागत को पूरा करने के लिए किसी अनुसूचित बैंक में पृथक खाता खोलेगा और उस खाते में जमा रकम सिर्फ इस परियोजना के प्रयोजन के लिए ही उपयोग कर सकेगा। संप्रवर्तक इस प्रकार खाता खोलकर जानकारी प्राधिकरण को 15 दिवस में उपलब्ध करायेगा।"

कृपया उपर्युक्तानुसार सूचना आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित है।


(नीरज दुबे)
सचिव

म.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण